श्रीमान हरीश मीना
महानिदेशक, पुलिस
राजस्थान सरकार,
जयपुर ।

विषयः— श्री भाखरा राम मेघवाल तथा प्रेम चन्द मेघवाल की हत्या की निष्पक्ष जांच एवं प्रदर्शन कर रहे मेघवाल समाज के लोगों पर दर्ज झूंठा मुकदमा वापिस लेने के संबंध में।

महोदय,

अनुसूचित जाति/जन जाति आरक्षण मंच राजस्थान जैसलमेर जिले मे पिछले एक माह से मेघवाल समाज व अनुसूचित जाति/जन जाति वर्ग उद्वेलित हो रहा है की तरफ ध्यान आकर्षित करवाना चाहता है। जैसलमेर जिले मे उच्च जाति वर्ग सुनियोजित तरीके से गंरीबों के साथ अन्याय कर रहा है तथा पुलिस प्रशासन पक्षपात पूर्ण तरीके से कार्यवाही कर रहा है जिसके कारण उच्च वर्ग के होसले बुलन्द हो रहे हैं ।

दिनांक 14.3.2013 को ग्राम देवड़ा में एक 13 वर्षीय बालक भाखराराम की हत्या यहां के निवासी भोजराज सिंह द्वारा ट्रेक्टर से कुचलकर हत्या कर दी गई। भाखराराम बिला नाम सरकारी भूमि से एकत्रित की हुई गिटिट्यों के पैसे मांगने के लिये भोजराज के घर गया था। घर पर आकर पैसे मांगना एक राजपूत सरदार को गवारा नहीं हुआ। उसके द्वारा दिनांक 13.3.2013 को भाखराराम को गालियां व मारने की धमकी दी गई थी तथा दिनांक 14.3.2013 को श्री भाखराराम की ट्रेक्टर से कुचलकर हत्या कर दी गई। मारने के उपरान्त भोजराज सिंह के आदमी भाखराराम को सरकारी अस्पताल न ले जाकर प्राईवेट माहेश्वरी अस्पताल मे ले गये ताकि पुलिस मुकदमा नहीं बन सके। मेघवाल समाज के लोगों द्वारा प्राईवेट अस्पताल मे ले जाने से मना भी किया गया था।

ग्राम देवड़ा में प्रभावी उच्च जाति के लोगों ने मेघवालों पर भयंकर दबाव बनाया व बिना मुकदमा दर्ज कराये लाश दफना दी। मेघवालों को थोडी राहत मिलने के बाद दिनांक 20.3.2013 को पुलिस थाना झिंझणियाली में धारा 302 भादस के तहत एफआईआर दर्ज करायी गयी। (संलग्न एक)। जो मुकदमा नम्बर 11/13 है। भोजराज सिंह द्वारा ट्रेक्टर से घटना कारित करते तीन व्यक्तियों ने देखा था परन्तु पुलिस ने सही जांच नहीं की तथा गिरफ्तारी नही हुई तब दिनांक 02.04.2013 को मेघवाल समाज ने जिला मुख्यालय पर रैली निकालकर न्याय की मांग की तथा जैसलमेर कलेक्ट्रेट के सामने धरना दिया जो आज तक चालू है। पुलिस द्वारा फिर भी गिरफ्तारी न करने के कारण दिनांक 8.4.2013 को पुनः शांन्तिपूर्वक रैली निकालकर न्याय की मांग की गई थी, तब यह तथ्य सामने आया कि प्रकरण को दफा 302 भादस से हटाकर धारा 304 ए के तहत लिया गया है। इस प्रकार पुलिस ने सही कार्यवाही नहीं की तथा अपराधियों का साथ दिया।

दिनांक 9.4.2013 को पुलिस थाना कोतवाली जैसलमेर के आगे प्रेम कुमार साईड से रोड पर पैदल जा रहा था, उस पर एक राजपूत युवक ने गाडी चढा दी जिससे उसकी मौत हो गई जिसका मुकदमा पुलिस थाना जैसलमेर मे दर्ज है। प्रेम कुमार के भाई अशोक बारूपाल द्वारा रैली का संचालन किया गया था, ऐसा जान पडता है कि इसी कारण प्रेम कुमार को एक्सीडेन्ट कर मार दिया गया है। यह मामला भी हत्या का जान पडता है लेकिन पुलिस द्वारा यह मामला भी दुर्घटना का बनाया गया है।

गरीब अनुसूचित जाति/जन जाति के लोग थाने के सामने एकत्रित होकर न्याय की मांग कर रहे थें कि भाखरराम के प्रकरण की जांच सही नहीं हो रही थी, प्रेम कुमार की भी हत्या कर दी गई, इस कारण अनुसूचित जाति/जन जाति के लोग थाने के सामने शान्तिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे। मेघवाल समाज में भय उत्पन्न करने व न्याय की मांग को दबाने की नियत से शान्तिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे लोगो के विरूद्ध धारा 143, 186, 189 व 283 भादस पुलिस थाना जैसलमेर मे एफआईआर न. 140 दिनांक 10.4.2013 दर्ज कराई गई। जिला जैसलमेर मे अनुसूचित जाति पर जाति विशेष द्वारा अत्याचार करने का लम्बा इतिहास रहा है, आज तक यही देखा गया है, कोई न कोई गली निकालकर अत्याचारियों की मदद की जाती रही है इस कारण मेघवाल समाज इस क्षेत्र मे दुःखी होता आया है।

एफआईआर न. 140/13 पुलिस थाना जैसलमेर ने जिन सात व्यक्तियों को नामजद किया गया है सभी अच्छे चाल चलन वाले है अपराधिक प्रवृति के नहीं हैं, पूर्व मे भी इनके विरूद्ध कोई प्रकरण दर्ज नहीं हैं ना ही इनका रिकार्ड खराब हैं ।

महोदय इस प्रकार दोंनो प्रकरणों मे पुलिस द्वारा निष्पक्ष जांच नहीं की जाकर पक्षपात पूर्ण कार्यवाही की जा रही है। अनुसूचित जाति/जन जाति के लोंगो के विरूद्ध न्याय को दबाने की नियत से झूटे मुकदमे दर्ज किये जा रहे हैं इस कारण जैसलमेर में अनुसूचित जाति/जन जाति वर्ग पूर्णतः उद्वेलित है तथा लोगों मे पुलिस प्रशासन के प्रति भाहरी असन्तोष व आक्रोश है।

अतः लोंगो की भावना एवं घटना को मध्य नजर रखते हुये आरक्षण मंच जिला जैसलमेर मे संघर्षरत् संघर्ष समिति की मांगो का समर्थन करता है तथा आरक्षण मंच भी निम्न मांगे प्रस्तुत करता है।

1. भाखरराम व प्रेम कुमार के मुकदमे में निष्पक्ष जांच की जावे ।
2. शान्तिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे लोगो के विरूद्ध दर्ज मुकदमा न. 140/13 राज्य सरकार बनाम प्रदीप व अन्य पुलिस थाना जैसलमेर को वापिस लिया जावे
3. भाखरराम व प्रेम कुमार के मामले मे दर्ज मुकदमों मे जांच अधिकारी को बदला जाये तथा तब तक कार्यवाही को रोका जावें
4. भाखरराम व प्रेम कुमार को मुख्यमंत्री सहायक कोष से 20–20 लाख रूपये सहायता दिलवायी जाये।
5. जैसलमेर वृताधिकारी शायर सिंह आरपीएस व थाना जैसलमेर सी.आई को तत्काल जैसलमेर से हटाया जाये।

यदि राज्य सरकार द्वारा उपरोक्त प्रकरण मे हमारी मांगो को नहीं माना जाता है तो सम्पूर्ण राज्य मे आन्दोलन किया जायेगा।

भवदीय

जे.पी. विमल (आईएएस रिटा.)
अध्यक्ष